न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2022 (अपील नामा)
GCMS No. 2022/1

अनवान

1.श्री नारायण सिंह पिता श्री लक्षमण सिंह राजपुत, निवासी सेमारी, तहसील– सेमारी, जिला–उदयपुर

– अपीलान्ट

बनाम

1.श्री करण सिंह पिता श्री तेज सिंह राजपुत, निवासी कुराडिया तहसील– सेमारी, जिला–उदयपुर

2.तहसीलदार सेमारी, तहसील–सेमारी, जिला–उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1.श्री आलोक जैन, अपीलान्ट अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 1036 तहसीलदार सराडा आदेश दिनांक 06.06.2012

* निर्णय *

दिनांक– 30-03-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राजस्व ग्राम सेमारी, पटवार हल्का सेमारी, भू अभि. नि. सेमारी तहसील– सराडा जिला उदयपुर के राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 के खाता संख्या 308 मे अपीलान्ट के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 3338 मी. रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि स्थित थी, जिसमें से 1125 वर्गफिट भूमि यानिकी 0.0104 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 10.12.2010 को श्रोमती रेखा देवी को [illegible] 3600 वर्गफिट भूमि यानिकी 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 16:55:25 IST
Reason: SelfAttested

0335 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 10.12.2010 को विक्रय की गई व रेखा देवी के नाम तो 0.0104 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1030 से दर्ज कर दिया गया व बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम उक्त आराजी का शेष रकबा 0.1069 हैक्टैयर भूमि पुरी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम उसे विक्रित की गई 0. 0335 हैक्टैयर भूमि ही दर्ज करना चाहिए थी । उक्त गलत एन्ट्री के कारण अपीलान्ट की सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेमारी द्वारा दिनांक को जांच किये बिना कथित नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कथित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का नाम भी खाते म दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में नोटिस/सूचना पत्र बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट्स के नाम जारी नोटिस/सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त होने से संलग्न पत्रावली किये गये। प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही को गयी। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा उक्त आराजीयात मे अपीलान्ट का विधिक हक निहित होना अवगत कराया एवं उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर अपीलान्ट के नाम पुनः उक्त भूमि अकंन कराने हेतु अनुरोध किया।

हमने अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण संख्या 1036 दिनांक 06.06.2012 की प्रति, आदि का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से मनन किया। सर्वप्रथम प्रकरण के तथ्यों के मध्यनजर धारा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मियाद क्षमा की गई। नामान्तरकरण संख्या 1036 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 16:55:25 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण होना परिलक्षित होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराडा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्य 1036 दिनांक 06.06.2012 पुनः जांच किये जाने योग्य पाया जाता है एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः जांच उपरान्त नवीन सिरे से खोले जाने हेतु तहसीलदार सेमारी को प्रति प्रेषित करना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर मौजा राजस्व ग्राम सेमारी, पटवार हल्का सेमारी, भू अभि. नि. सेमारी तहसील– सराडा जिला उदयपुर द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 1036 दिनांक 06.06.2012 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सेमारी को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को ध्यान मे रखते हुए उभय पक्ष को सुनवायी का उचित अवसर दिया जाकर जांच कर नवीन सिरे नामान्तरकरण के संबध मे नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 16:55:25 IST
Reason: SelfAttested